न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
प्रधानी नियुक्ति अपील वाद सं0–02 / 2024–25

मिरू टुडू
बनाम
प्रधान मुर्मू वगैरह
अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता–श्री सुरेन्द्र प्रसाद साहा।
उत्तरकारी के अधिवक्त– श्री तरुन कुमार प्रमाणिक।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश यह अपील वाद अपीलार्थी मिरू टुडू, पति–स्व0 मुंशी मरांडी, सा0–घाघरजानी, थाना–हिरणुपर, जिला–पाकुड के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के न्यायालय के पी0ए0वाद सं0–16 / 2014–15 में दिनांक 29.01.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि हिरणपुर अंचल अंतर्गत मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान पद पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के पी0ए0 अपील वाद सं0–01 / 21–22 में दिनांक–05.11.2022 को पारित आदेश में निहित निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अपने न्यायालय के पी0ए0वाद सं0–16 / 2014–15 में दिनांक 29.01.2024 को आदेश पारित कर उत्तरकारी सं0–01 प्रधान मुर्मू, पिता–स्व0 ज्योतिन मुर्मू, सा0–घाघरजानी की नियुक्ति मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान के पद पर की गयी है। निम्न न्यायालय द्वारा की गई उक्त नियुक्ति को अपीलकर्त्ता द्वारा गलत बताते हुए यह अपील वाद दायर किया गया है। वर्णित वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गयी। साथ ही उत्तरकारीगणों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे जाने हेतु सूचना निर्गत किया गया। उत्तरकारीगण अपने–अपने मनोनित अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना पक्ष न्यायालय में रखा गया। तदोपरांत वाद सुनवाई की अंतिम निर्धारित तिथि 21.03.2025 को पक्षकारों के मनोनित अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क को सुनकर अभिलेख आदेश हेतु निर्धारित किया गया। अपीलकर्त्ता के मनोनित अधिवक्ता का सुना एवं इनके द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र का अवलोकन किया। इनका कहना है कि अंचल हिरणपुर अंतर्गत मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान के पद पर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के द्वारा की गयी नियुक्ति में उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–01 / 2021–22 में दिनाक	

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

05.11.2022 को पारित आदेश का बगैर अनुपालन किये मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति निम्न न्यायालय द्वारा की गयी है। इनका कहना है कि उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय द्वारा मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान के पद पर बहाली Thakur Hembrom Vs State of Bihar, 1980 BLJR 448; 1980 BLJ 212 (DB) में पारित न्याय निर्णय SPT Act 1949 एवं SPT Rule 1950 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में किया जाय, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा Thakur Hembrom Vs State of Bihar में पारित न्याय निर्णय का बगैर अनुसरण किये एवं मौजा के 16/– आना रैयतों से बगैर सहमति प्राप्त किये हुए मौजा में ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति की गयी है। इनके द्वारा कहा गया है कि ग्राम प्रधान के नियुक्ति में यह प्रावधान है कि नियुक्त ग्राम प्रधान मौजा के 16/– आना रैयतों के द्वारा सामान्यतः स्वीकार होना चाहिए, परन्तु नियुक्त ग्राम प्रधान संथाल जाति बहुल क्षेत्र में क्रिश्चियन समुदाय से संबंधित हैं, जिसके द्वारा संथाल जाति से संबंधित धार्मिक कार्य यथा–मांझी थान, जाहेरथान में पूजा–पाठ नहीं किया जा सकता है। साथ ही वे संथाल रिति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न शादी–विवाह में भी भाग नहीं ले सकते हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि मौजा के नियुक्त ग्राम प्रधान को मौजा–घाघरजानी के 16/– आना रैयतों का समर्थन प्राप्त नहीं है। इस हेतु इनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश को नियम विरूद्ध बताते हुए पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरकारी के विज्ञ अधिवक्ता का सुना। इनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 अपील वाद सं0–01/21–22 में दिनांक–05.11.2022 को पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति की गयी है। इनके द्वारा कहा गया है कि Thakur Hembrom Vs State of Bihar में पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त के द्वारा सर्वप्रथम वंशानुगत आधार पर ग्राम प्रधान के पद पर किये गये दावे के अनुरूप नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण की जानी है एवं वंशानुगत आधार पर किये जा रहे दावे को निरस्त किये जाने के उपरांत संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–5 का अनुपालन करते हुए मौजा में ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाया जाना है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बार में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

इनका यह भी कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान प्रधान मुर्मू के पिता–ज्योतिन मुर्मू मौजा–घाघरजानी के अंतिम नियुक्त पट्टाधारी ग्राम प्रधान थें एवं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रधान मुर्मू के द्वारा ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा Thakur Hembrom Vs State of Bihar में पारित आदेश का अनुपालन करते हुए मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान मुर्मू की नियुक्ति की गयी। इनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पारित आदेश को नियमसंगत बताते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख तथा निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2024 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा पी0ए0 अपील वाद सं0–01/21–22 में दिनांक–05.11.2022 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान मुर्मू की नियुक्ति की गयी है। अपीलकर्त्ता के द्वारा वाद सुनवाई के दरम्यान् न्यायालय के समक्ष यह दलील प्रस्तुत की गयी कि यद्यपि प्रधान मुर्मू के पिता मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान थे, परन्तु उनके द्वारा कभी भी मौजा में ग्राम प्रधान संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 में प्रधान को उनके पद से उच्छेद किये जाने का प्रावधान है एवं अभिलेख में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0डी0 वाद सं0–03/01–02 (16/–आना रैयत, मौजा–घाघरजानी–बनाम–ज्योतिन मुर्मू) में पारित आदेश दिनांक–24.09.2010 की प्रति संलग्न है, जिसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान ज्योतिन मुर्मू, जो प्रधान मुर्मू के पिता थे, को ग्राम प्रधान के पद से हटाये जाने हेतु लगाये गये आरोप के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में पी0डी0 वाद दायर हुआ, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा ज्योतिन मुर्मू के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सही नहीं पाते हुए रैयतों के द्वारा दाखिल प्रधान उच्देदी वाद को खारिज किया गया है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का यह कहा जाना कि यद्यपि ज्योतिन मुर्मू ग्राम प्रधान थें, परन्तु उनके द्वारा मौजा में ग्राम प्रधान संबंधी दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया, निराधार प्रतीत होता है। इस मामले में केवल एक ही विचारण का बिन्दु है कि वर्तमान ग्राम प्रधान क्रिश्चिन समुदाय से सबंधित है, तो उनके द्वारा संथाल जाति बहुल क्षेत्र मौजा–घाघरजानी में संथाल जाति से संबंधित धार्मिक कार्य यथा–मांझी थान, जाहेरथान में पूजा–पाठ नहीं कर सकते हैं। साथ ही संथाल रिति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

शादी–विवाह में भी भाग नहीं ले सकते हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान की नियुक्ति मौजा के रैयतों के राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन के साथ–साथ अन्य सामाजिक कार्यों के निष्पादन हेतु की जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा रैयतों के राजस्व संबंधी कार्य का निष्पादन तो करे ही साथ ही साथ उनके धार्मिक कार्यक्रम में भी भाग लेकर कार्यों का सम्पादन करें।

अतः उत्तरकारी ग्राम प्रधान, प्रधान मुर्मू को यह आदेश दिया जाता है कि वे मौजा के रैयतों के राजस्व संबंधी कार्य का ससमय सम्पादन करें। साथ ही उनके धार्मिक कार्यक्रमों में भी अभिरूची लेकर कार्यों का सम्पादन करेंगे।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं विवेचना उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा पी0ए0 अपील वाद सं0–01/21–22 में दिनांक–05.11.2022 को पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए मौजा–घाघरजानी के ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान मुर्मू की नियुक्ति की गयी है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवलोकन करायें तथा आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

26/12/25
उपायुक्त,
पाकुड़।

26/12/25
उपायुक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.04.11 16:53:43 +05:30
Location: 192.168.0.119

Scanned with OKEN Scanner